न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –120/2014 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2014/57

1. मदनलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1श्रीमती कमलाबाई पत्नी स्व0 मदनलाल
   1/2जानकी बाई पुत्री मदनलाल
   1/3मनभर बाई पुत्री मदनलाल
   1/4पन्नालाल पुत्र मदनलाल
   1/5ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
   1/6मुकेश पुत्र मदनलाल
   1/7सीमाबाई पुत्री मदनलाल
   1/8राजेश बाई पुत्री मदनलाल
   1/9श्रीमती बृजकन्या बाई पुत्री मदनलाल
2. छोटूलाल पुत्र नैनगा मृतक जरिये कायम मुकामान
   2/1 श्रीमती कान्ति बाई पत्नी छोटूलाल
   2/2 कन्हैयालाल पुत्र छोटूलाल
   2/3 बालमुकन्द पुत्र छोटूलाल
   2/4 मन्जु पुत्री छोटूलाल
   2/5 बबलेश पुत्री छोटूलाल
3. हरजीलाल पुत्र नैनगा
4. धर्मराज पुत्र भैरूलाल
5. शांतिलाल पुत्र भैरूलाल
6. मनमोहन पुत्र भैरूलाल
7. बलवीर पुत्र भैरूलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
   7/1 श्रीमती गीता बाई पत्नी बलवीर
   7/2 दीपिका कुमारी पुत्री बलवीर
   7/3 प्रिया कुमारी पुत्री बलवीर
   7/4 सपना कुमारी पुत्री बलवीर
   7/5 अर्चना कुमारी पुत्री बलवीर
   7/6 राजकुमारी पुत्री बलवीर
   7/7 कृष्ण मुरारी पुत्र बलवीर अवयस्क जरिये वली माता श्रीमती गीता बाई

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्रीमती काली बाई पत्नी स्व0 किशना
2. मांगीलाल आत्मज स्व0 किशना
   जाति धोबी निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इन्तकाल नं0 486 दिनांक 7.4.2014 ग्राम बृजेशपुरा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

उपस्थित–
1. श्री विनीत अग्रवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक– 14.05.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम बृजेशपुरा के खाता संख्या 12की आराजी किता–2 रकबा 4.80 हे0 भूमि खातेदार किशना पुत्र नेनगा जाति धोबी के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार किशना के फौत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किशना के वारिसान रेस्पोडेन्टगण के नाम नामान्तकरण संख्या 486 दिनांक 7.4.2014 को स्वीकृत किया गया ।
2. तहसीलदार लाडपुरा के उक्त नामान्तकरण आदेश की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 9.6.2014 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3 कोटा में अपीलान्ट द्वारा एक वाद विभाजन सम्पत्ति बाबत प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें दिनांक 23.9.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया था । उक्त वाद मे चरण क्रम 4 में आराजी ग्राम बृजेशपुरा में खसरा नम्बर 529 रकबा 2.98 हे0 व खसरा नम्बर 530 रकबा 1.82 हे0 का भी अंकन है, इसी आधार पर जमाबन्दी में नोट सं0 11 दिनांक 19.3.2014 अंकित किया गया था, उसके उपरान्त उक्त नोट को इन्तकाल नं0 486 के द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उसकी अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया, जबकि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्वान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जावें, बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावें किन्तु विद्वान तहसीलदार ने इस महत्वपूर्ण स्थिति को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय /आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय /आदेश बाबत इन्तकाल नं0 486 दिनांक 7.4.2014 अपास्त किया जावें ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय एस0डी0ओ0 कोटा में घोषणा व विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा का वाद जेरकार है जो वाद क्रमांक 97/2013 है, वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा क्रमांक 134/13 जेरकार है, जिनमें तहसीलदार लाडपुरा भी पक्षकार है, उक्त मेटर सबज्यूडिस होने के उपरान्त भी तहसीलदार ने जमाबन्दी में हो रहे अंकन को चुपचाप बदल दिया है जबकि मेटर सब ज्यूडिस होते किसी प्रकार का रद्दोबदल फर्दर प्रोसिडिंग शुरू नहीं की जा सकती है । अतः आदेश जेर बहस आर्बीट्रेरी है । अपीलान्ट ने विभाजन सम्पत्ति का वाद न्यायालय अपर जिला जज क्रम 3 कोटा में दायर किया हुआ है जिसमें रेस्पोडेन्ट के पिता व पति स्व0 किशना की मृत्यु हो जाने पर रेस्पो0 क्रम 2 की पत्नी गीता बाई ने दिनांक 29.1.2014 को एक प्रार्थना पत्र बनाये जाने कायम मुकाम वसीयत दिनांक 21.9.2013 के आधार पर वारिस होने के कारण प्रस्तुत किया है, गीता बाई किशना के पुत्र मांगीलाल की पुत्रवधु है, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने विरासत का तथ्य इन्तकाल नं0 486 खुलवाने से पूर्व वसीयत को छिपाया है जबकि विद्वान तहसीलदार यदि आदेश से पूर्व सत्यता की जांच करते तथा सुनवाई का अपीलान्ट को अवसर प्रदान करते तो वसीयत की वजह से इन्तकाल नं0 486 नहीं खोला जा सकता था क्योंकि किशना ने जरिये वसीयत वादग्रस्त आराजी गीताबाई को दे दी थी । अपील के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2014(1)WLC (SC) Civil 599]1994 RRD-505 (B)] 1994 RRD215 (B) 2023(3) CCC(H.P) 627 (11) 2008(3) DNJ(Raj)1183** प्रस्तुत किये गये । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में अपनी बहस में अपीलान्ट द्वारा कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है जिसकी सर्व प्रथम जानकारी 5.5.2014 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई तब नकल का आवेदन कर दिनांक 30.5.2024 को नकल प्राप्त होने पर उक्त अवधि की डिले कण्डोन करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2022(3) Civil Court Cases 634 (Allahabad) प्रस्तुत किये ।

जिला कलेक्टर
कोटा

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि किशना खातेदार के फोत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किशना के विधिक वारिसान पुत्र व पत्नि के नाम फौती इन्तकाल खोला गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, अपीलान्ट इस इन्तकाल से प्रभावित ही नहीं है, क्योंकि अपीलान्टगण विधिक वारिसान नहीं है, खातेदार किशना के पुत्र एवं पत्नि के रूप में विधिक वारिसान होते हुए अन्य अपीलांटगण के नाम इन्तकाल कैसे खोला जा सकता है । अपीलान्टगण द्वारा जिस दावें की बात एडीजे कोर्ट में चलने का कथन कर रहे है, वह इस भूमि से सम्बन्धित नहीं होकर मकान से सम्बन्धी वाद विचाराधीन है जिसमें उक्त कृषि भूमि प्रार्थनीय नहीं है । उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में फलेल बाई जो किशना की माता की बहिन थी के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में दावा घोषणा व बेदखली का प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 287/98 उनवान फलेल बाई बनाम किशना था, जो निर्णय दिनांक 16.10.2000 वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया, जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई जिसके प्रकरण संख्या 74/2000 उनवान फलेल बाई पत्नि किशना में निर्णय दिनांक 5.8.2002 से सहायक कलक्टर कोटा का निर्णय बहाल रखते हुए अपील खारिज की गई, जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत हुई जिसके प्रकरण संख्या डिक्री/टीए/6239/2002 उनवान फलेलबाई मृतक जर्ये कायम मु0 जमनालाल वगै0 बनाम किशना मृतक जरिये का0मु0 कालीबाई वगै0 थे, जो निर्णय दिनांक 7.6.2018 से विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2000 एवं प्रथम अपील निर्णय दिनांक 5.8.2002 बहाल रखते हुए द्वितीय अपील खारिज की गई । इस प्रकार सभी निर्णय रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में रहे है । अपीलान्ट जिस वसीयत दिनांक 21.9.2013 का जिक्र अपील में एवं बहस में किया है वह अनरजिस्टर्ड है, जिसकी प्रमाणितकता सिद्व करना राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है, तथा जब प्राकृतिक एवं विधिक वारिस मौजूद है तो अन रजिस्टर्ड दस्तावेज (कथित वसीयत) के आधार पर नामान्तकरण नहीं हो सकता है । अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा में भी वाद लम्बित होना अंकित किया गया है किन्तु विचाराधीन वाद में स्थगन नहीं होने से तहसीलदार लाडपुरा फौती नामान्तकरण नहीं खोलने के लिए बाध्य नहीं है । इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जो अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, वह विधि अनुरूप विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । तथा एडीजे–3 में जो वाद लम्बित बताया गया है तथा जिसमें स्थगन होने का कथन किया है वह इस वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित नहीं होकरे मकान से सम्बन्धित है, इसलिए वह स्थगन इस नामान्तकरण एवं वादग्रस्त भूमि पर लागू नहीं है । प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम बृजेशपुरा के खाता संख्या 12की आराजी किता–2 रकबा 4.80 हे0 भूमि के खातेदार किशना पुत्र नेनगा जाति धोबी के फौत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा किशना के वारिसान रेस्पोडेन्टगण के नाम नामान्तकरण संख्या 486 दिनांक 7.4.2014 को स्वीकृत किया जाने पर लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 09.06.2014 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है, विलम्ब के शमन के लिए अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2022(3) Civil Court Cases 634 (Allahabad) प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है जिसकी सर्व प्रथम जानकारी 5.5.2014 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई तब नकल का आवेदन कर दिनांक 30.5.2024 को नकल प्राप्त होने पर उक्त अवधि की डिले कण्डोन करने हेतु निवेदन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस पर लागू होते है, क्योंकि स्वीकृत नामान्तकरण उनको सुनकर नहीं खोला गया है अर्थात अपीलाधीन नामान्तकरण की उन्हें जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु क्षम्य किया जाकर लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. अपीलान्ट का इस अपील में चाहा गया अनुतोष के सम्बन्ध में तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय एस0डी0ओ0 कोटा में घोषणा व विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा का वाद जेरकार है जो वाद क्रमांक 97/2013 है, वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा क्रमांक 134/13 जेरकार है, जिनमें तहसीलदार लाडपुरा भी पक्षकार

है, उक्त मेटर सबज्यूडिस होने से अपीलाधीन इन्तकाल नहीं खोलना चाहिये था । तथा विभाजन सम्पत्ति का वाद न्यायालय एडीजे कम 3 कोटा में दायर किया होना तथा जहां से स्थगन जारी किया हुआ बताया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया है कि खातेदार किशना के फौत होने पर खातेदार के विधिक वारिस मौजूद होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तकरण खोला गया है, तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन वाद में स्थगन नहीं था । रेस्पोडेन्ट के तर्को से हम सहमत है कि जब कोई खातेदार के फौत होने पर भूमि के लगान के निर्धारण के लिए उसके विधिक वारिस मौजूद होने से फौती इन्तकाल खोला गया है जो उचित है, अपीलान्ट की आपत्ति उचित नहीं है केवल वाद विचाराधीन होने से फौती इन्तकाल नहीं रोका जा सकता है जब तक की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन जारी नहीं हो जाता । एडीजे–3 से जारी स्थगन के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेज से यह जाहिर आया है कि एडीजे–3 में विचाराधीन वाद एवं जारी स्थगन आवासीय मकान के विभाजन से सम्बन्धित है, जिसका इस वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों एवं दौराने बहस किशना की पुत्रवधु के पक्ष में किशना जी द्वारा की गई वसीयत का भी जिक किया है, हमने उस वसीयत का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया है कि वह वसीयत अन रजिस्टर्ड दस्तावेज है । अन रजिस्टर्ड वसीयत की प्रमाणिकता सिद्व करने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है, एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर भी फौती इन्तकाल नहीं रोका जा सकता है । इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD Nov.,2004(727) Harvilas V/s Vidyadevi इस प्रकरण में लागू होती है । अपीलान्ट इस वादग्रस्त भूमि से प्रभावित नहीं होने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उन्हें नहीं सुना गया है, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014(1)WLC (SC) Civil 599]1994 RRD-505 (B)] 1994 RRD215 (B) 2023(3) CCC(H.P) 627 (11) 2008(3) DNJ(Raj)1183 इस प्रकरण में लागू नहीं होते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार करने के पर्याप्त विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 486 निर्णय दिनांक 7.4.2014 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकारान के मध्य एक वाद धारा 53–88–188 रा0टी0एक्ट का विचाराधीन है जिसमें हक व अधिकारों का निर्धारण होना है । अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

9 निर्णय आज दिनांक 14.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा